<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

<u>कार्यवृत्त</u>

दिनांकः **04 अगस्त, .2011** को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	**प्रो0 एच.के. सहगल**	कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	**अध्यक्ष**
2.	**प्रो0 नन्दलाल**	प्रति–कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	सदस्य
3.	**माननीय न्यायमूर्ति श्री खेमकरन** (सेवानिवृत्त)	1625, सेक्टर–ए, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	सदस्य
4.	**प्रो० संजय जी धाण्डे**	निदेशक, आई०आई०टी०, कानपुर	सदस्य
5.	**प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा**	पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
6.	**श्री आई०सी० द्विवेदी** आई.पी.एस (सेवानिवृत्त)	4/26, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य
7.	**डॉ० शील निगम**	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
8.	**डॉ0 बी0एस0 श्रीवास्तव**	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9.	**प्रो0 मृदुला भदौरिया**	आचार्या, शिक्षा विभाग	सदस्या
10.	**प्रो0 आर0सी0 कटियार**	आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
11.	**डॉ0 जहान सिंह यादव**	रसायन विज्ञान विभाग, पी0पी0एन0 कालेज, कानपुर	सदस्य
12.	**डॉ0 निरंजन सिंह**	प्राचार्य, ब्रह्मावर्त पी0जी0 कालेज, मंधना, कानपुर	सदस्य
13.	**डॉ0 आर0के0 आर्या**	रसायन विज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कालेज, कानपुर	सदस्य
14.	**डॉ0 संजय स्वर्णकार**	उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
15.	**डॉ० नीरज कुमार सिंह**	उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
16.	**डॉ0 संदीप कुमार सिंह**	उपाचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग	सदस्य
17.	**डॉ0 मुनेश कुमार**	उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
18.	**श्री धर्मेन्द्र वर्मा**	वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
19.	**श्री सय्यद वकार हुसैन**	कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

—:—:—:—:—:—:—:—:—

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों प्रो0 संजय गोविन्द धाण्डे, प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा, श्री आई0सी0 द्विवेदी, आई0पी0एस0 (सेवानिवृत्त), डा0 शील निगम का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के **नवनियुक्त कुलसचिव** श्री सय्यद वकार हुसैन से परिषद को परिचय कराया

तथा पूर्व सदस्य प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की ।

मद सं०–1: कार्य परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांकः 04.05.2011 एवं 09.05.2011 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार ।

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्य परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांकः 04.05.2011 एवं 09.05.2011 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की । परिषद ने आगामी कार्य परिषद की बैठकों में परिषद के निर्णयों पर अनुपालन आख्या (Action Taken Report) भी प्रस्तुत किये जाने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया ।

मद सं०–2: विद्या परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 01.08.2011 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार। (विद्या परिषद के विनिश्चय की छाया प्रति बैठक के समय परिचालित की जायेगी।)

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त विद्या परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 01.08.2011 के कार्यवृत्त पर पर सम्पुष्टि प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र 2011–12 से स्नातक स्तर पर समान पाठ्यक्रम एवं परास्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया । परिषद के सदस्य प्रो0 धाण्डे ने यह मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय में नई अकादमिक गतिविधियों के सुचारू–संचालन हेतु एक समिति क गठन किया जाय, जिसपर परिषद ने इस प्रकार के कार्यों हेतु समस्त संकायाध्यक्ष, पाठ्यक्रम समितियों के पांच संयोजक एवं दो प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की ।

मद सं०–3: परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांकः 24.05.2011, 31.05.2011, 04.06.2011 एवं 13.07.2011 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार ।

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांकः 24.05.2011, 31.05.2011, 04.06.2011 एवं 13.07.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया । अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 04.06.2011 की परीक्षा समिति की बैठक जिसमें सामूहिक नकल मे आरोपित महाविद्यालयों को ₹ 50,000/– आर्थिक दण्ड एवं आगामी एक वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के लिये गये निर्णय के अनुसार ऐसे महाविद्यालयों के सम्बद्धता के प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत छात्रहित में आर्थिक दण्ड ₹ 1,00,000/– के साथ आगामी तीन वर्षो के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के साथ इनके सम्बद्धता के प्रस्ताव प्रपत्र 'ब' पर सशर्त प्रेषित कर दिये जाने का प्रस्ताव रखा । कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष महोदय के उपर्युक्त प्रस्ताव पर छात्रहित में सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त किया गया ।

मद सं०–4: (क) विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित निम्नांकित शैक्षणिक विभागों में शैक्षिक पदों के विज्ञापन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./02/2010 दिनांकः 16.03.2011 एवं विज्ञापन संख्या– सी.एस.जे.एम.यू./03/2010 दिनांकः 08.06.2010 द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों पर आहूत चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(ख) शिक्षणेत्तर संवर्ग के कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रिक्त 03 पदों (01 अनारक्षित, 01 ओ0बी0सी0, 01 एस0सी0) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किये गये विज्ञापन संख्या– सी.एस.जे.एम.यू./03/2009 दिनांकः 08.06.2009 एवं पुनः विज्ञापन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./ 05/2010 दिनांकः 27.12.2010 के क्रम में दिनांकः 06, 07 एवं 08 मई, 2011 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति होने के कारण नियुक्ति सम्बन्धी विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित शैक्षिणिक विभागों में शैक्षिक पदों व शिक्षणेत्तर संवर्ग के कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों को आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव किया, जिसपर कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से **सहमति प्रदान की।**

मद सं०–5: उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1281/सत्तर–4–2011–43(1 डब्ल्यू)/2011 दिनांकः 06.07.2011, जिसमें विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति पर प्रतिबंधित करते हुये केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से रिक्त होने वाले पदों पर व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी अनुपालन विषयक निर्देश से परिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति पर प्रतिबंधित करते हुये केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से रिक्त होने वाले पदों पर व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1281/सत्तर– 4–2011–43(1 डब्ल्यू)/2011 दिनांकः 06.07.2011, जिसमें अनुपालन विषयक निर्देश से परिषद संसूचित हुई । परिषद ने आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने वाले कार्मिकों हेतु मानक एवं दिशा–निर्देश निर्धारित करने का भी निर्णय लिया ।

मद सं०–6: छात्र श्री आलोक सिंह, बी०टेक, चतुर्थ वर्ष (मैके० इंजी०), यू.आई.ई.टी. जिसे कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 26.10.2010 के मद संख्या–9 पर लिये गये निर्णय के उपरान्त विश्वविद्यालय से दो वर्ष के लिये निष्कासित किया गया था को उनके अनुरोध एवं स्वयं छात्र तथा उसके पिता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के दृष्टिगत छात्र की दो वर्ष निष्कासन अवधि को एक वर्ष किये जाने पर विचार।

परिषद ने छात्र श्री आलोक सिंह, बी0टेक0 चतुर्थ वर्ष (मैके0 इंजी0) को पूर्व में दिये गये दो वर्ष के निष्कासन के दण्ड को सम्यक विचारोपरान्त एक वर्ष के अनुशासनिक परिवीक्षा (Disciplinary Probation) में रखने तथा परिवीक्षा अवधि में छात्र का आचरण सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया ।

मद सं०–7: विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय परामर्श हेतु दिन प्रतिदिन आने वाले मरीजों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय परिसर में ही मेडिकल स्टोर खोले जाने पर विचार।

परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय परामर्श हेतु दिन प्रतिदिन आने वाले मरीजों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय परिसर में ही मेडिकल स्टोर खोले जाने की सहमति प्रदान की तथा यह भी निर्देश दिये कि उपर्युक्त के दृष्टिगत नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही परिसर में मेडिकल स्टोर खोला जाय ।

मद सं०–8: विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भॉति विश्वविद्यालय परिसर में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में योजित शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दिये जाने की शिक्षकों की मॉग पर विचार।

सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भॉति विश्वविद्यालय परिसर में अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में योजित शिक्षकों व स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत योजित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने के साथ ही यह भी निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण में वित्तीय बिन्दु निहित है अतएव प्रकरण वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं०–9: इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइन्सेज के अध्ययनरत् छात्र चेतन कुमार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक के ऊपर तमंचे से हमला किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कुलानुशासक द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर निर्णय लिये जाने पर विचार ।

परिषद ने इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइन्सेज के अध्ययनरत् छात्र चेतन कुमार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक के ऊपर तमंचे से हमला किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कुलानुशासक द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर विचार करते हुए **सर्वसम्मति से यह निर्णय** लिया कि चूंकि कुलानुशासक द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच आख्या में छात्र का पक्ष का समावेश नहीं किया गया है, अतएव छात्र से उसका पक्ष प्राप्त करने के उपरान्त पुनः जांच कर आख्या कार्य परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाय ।

मद सं०–10: विश्वविद्यालय में सत्र 2010–11 से नई परीक्षा व्यवस्था, जिसमें परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों को पांच स्तरीय व्यवस्था में आवंटित किया जाना एवं विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पूर्व कम्प्यूट्राइज्ड कोडिंग/डिकोडिंग की व्यवस्था आगामी परीक्षा वर्षों में भी लागू किये जाने पर विचार ।

परिषद ने विश्वविद्यालय में सत्र 2010–11 से नई परीक्षा व्यवस्था, जिसमें परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों को पांच स्तरीय व्यवस्था में आवंटित किया जाना एवं विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पूर्व कम्प्यूट्राइज्ड कोडिंग/डिकोडिंग की व्यवस्था **आगामी परीक्षा** वर्षों में भी लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया । पांच स्तरीय नयी व्यवस्था में (i) कुलसचिव, जो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक होते हैं प्रश्नपत्रों के निर्माण, प्रश्नपत्रों का मुद्रण एवं परीक्षायें सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रत्येक चरणों का कार्यों में सामंजस्य, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगें, (ii) परीक्षा संचालन का समस्त कार्य, (iii) प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की विधिवत कोडिंग/डिकोडिंग, (iv) कोडिंग के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं (v) परीक्षा परिणाम तैयार कराना आदि कार्य पृथक–पृथक चरणों में वर्षानुवर्ष सम्बद्ध किये जाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जायेगा ।

मद सं०–11: विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को छठें वेतनमान के अन्तर्गत वेतन/मानदेय वृद्धि सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–376/सत्तर–4– 2011–40(14)/2010 दिनांक 12 मई, 2011 पर विचार ।

परिषद ने विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों को छठें वेतनमान के अन्तर्गत वेतन/मानदेय वृद्धि सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–376/सत्तर–4–2011–40(14)/2010 दिनांक 12 मई, 2011 पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से यह विनिश्चय किया कि यदि इन पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन/मानदेय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय के 60 प्रतिशत धनराशि से वृद्धि की जा सकती हो तो वित्त समिति की सहमति प्राप्त करते हुए कार्य परिषद की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं०–12: विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले जूता/मोजा हेतु पूर्व निर्धारित नियत् धनराशि ₹ 300/– में मंहगाई आदि के दृष्टिगत वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कर्मचारी परिषद की मांग पर विचार ।

परिषद ने विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले जूता/मोजा हेतु पूर्व निर्धारित नियत् धनराशि ₹ 300/– में मंहगाई आदि के दृष्टिगत वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कर्मचारी परिषद की मांग पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव वित्त समिति में रखने का निर्णय लिया ।

मद सं०–13: विश्वविद्यालय का परीक्षाफल, समाचार/वेबसाइट/मोबाइल और पूर्व पंजीकरण सेवा 50528828/1253529 पर उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी सम्पादक अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र, कानपुर द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार ।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय का परीक्षाफल समाचार पत्रों/वेबसाइट/मोबाइल और पूर्व पंजीकरण सेवा 50528828/1253529 पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जायें । यदि किसी भी दैनिक समाचार पत्र को विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम की आवश्यकता हो तो वह उक्त परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपलोड कर सकता है ।

मद सं०–14: विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों हेतु नियुक्त ऐसे वार्डेन्स तथा सहायक वार्डेन्स जो परिसर स्थित आवासों में आवासित हैं से मकान किराया न लिये जाने पर विचार ।

विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों हेतु नियुक्त ऐसे वार्डेन्स तथा सहायक वार्डेन्स एवं गेस्ट हाउस प्रभारी जो परिसर स्थित आवासों में आवासित हैं, से मकान किराया न लिये जाने के प्रस्ताव पर कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की ।

मद सं०–15: विश्वविद्यालय परिसर के अंग्रेजी विभाग में संचालित लैग्वेज लैब में प्रवेशित छात्र/छात्राएं द्वारा पूर्व में सुरक्षा धनराशि के रूप में वसूले जाने वाले ₹ 2000/– एवं कोर्स शुल्क के रूप में ₹ 2500/– के स्थान पर केवल कोर्स शुल्क ₹ 500/–लिये वसूले जाने के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों हेतु लैग्वेज लैब में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर के अंग्रेजी विभाग में संचालित लैग्वेज लैब में प्रवेशित छात्र/छात्राएं द्वारा पूर्व में सुरक्षा धनराशि के रूप में वसूले जाने वाले ₹ 2000/– एवं कोर्स शुल्क के रूप में ₹ 2500/– के स्थान पर कोर्स शुल्क ₹ 500/– वसूले जाने के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के बी0एड0, एम0एड0 एवं होटल एण्ड टूरिज्म मैनेजमेण्ट जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों हेतु लैग्वेज लैब में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की । परिषद ने लैगवेज लैब का कोर्स करने वाले छात्रों को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र भी दिये जाने का निर्णय लिया ।

अनुपूरक सूची

मद सं०–1 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध औरैया जनपद के चार बी0एड0 महाविद्यालयों, (1) सिंह वाहिनी महाविद्यालय, अजीतमल, औरैया (2) श्रीमती मनोरमा महाविद्यालय, दिबियापुर रोड, औरैया (3) श्री दर्शन महाविद्यालय, दिबियापुर रोड, औरैया (4) विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, दिबियापुर औरैया जिन्होनें शून्य बैलेन्स पर प्रवेशित छात्रों से अधिक शुल्क लिये जाने के आरोप में जिलाधिकारी, औरैया से प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर शासन द्वारा शैक्षिणिक सत्र 2010–11 हेतु प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता दी गयी, पूर्वानुमति की अनुज्ञा वापस लिये जाने से कार्यपरिषद को संसूचित करना तथा प्राप्त विधिक परामर्श के उपरान्त सत्र 2010–11 में प्रवेशित छात्रों की परीक्षायें करायें जाने के निर्णय से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध औरैया जनपद के चार बी0एड0 महाविद्यालयों, (1) सिंह वाहिनी महाविद्यालय, अजीतमल, औरैया (2) श्रीमती मनोरमा महाविद्यालय, दिबियापुर रोड, औरैया (3) श्री दर्शन महाविद्यालय, दिबियापुर रोड, औरैया (4) विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, दिबियापुर औरैया जिन्होनें शून्य बैलेन्स पर प्रवेशित छात्रों से अधिक शुल्क लिये जाने के आरोप में जिलाधिकारी, औरैया से प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010–11 हेतु प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता की दी गयी, पूर्वानुमति की अनुज्ञा वापस लिये जाने से कार्यपरिषद संसूचित हुई । इस सम्बन्ध में इन समस्त महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्राप्त विधिक परामर्श जिसके अनुपालन में इन छात्रों को दिनांक 27.07.2011 से सम्पन्न परीक्षाओं में सम्मिलित कराये जाने से कार्यपरिषद संसूचित हुई ।

मद सं०–2 उत्तर प्रदेश शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त 10 महाविद्यालयों को प्रदान की सम्बद्धता से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद उत्तर प्रदेश शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त विश्वविद्यालय से 10 नवीन महाविद्यालयों को प्रदान की गयी सम्बद्धता से संसूचित हुई ।

मद सं०–3 मृतक आश्रित के रुप में नियुक्ति हेतु कोटा निर्धारित करने के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.05.2011 के मद संख्या 05 के निर्णयानुसार मृतक आश्रित नियमावली के परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष कि "मृतक आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में कोई कोटा निर्धारित नहीं है" से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद विश्वविद्यालय में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा नियमावली/ शासनादेशों में कोई कोटा निर्धारित न होने की स्थिति से संसूचित हुई । इस सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त परिषद ने सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाय साथ ही मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु कोटा निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिये जाय । तत्पश्चात् प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं०–4 कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.05.2011 के मद संख्या 04 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय में पूर्ण चन्द्र गुप्ता पत्रकारिता संस्थान खोले जाने के क्रम में प्रकरण के प्रशासनिक एवं विधिक पक्ष से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद ने विश्वविद्यालय में पूर्ण चन्द्र गुप्ता पत्रकारिता संस्थान खोले जोने के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि इसके निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष किसी पीठ की स्थापना के प्रकरण का परीक्षण करते हुए पुनः निर्णय हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय । परिषद ने यह भी मत व्यक्त किया कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर परिसर में किसी संस्थान/विभाग की स्थापना किया जाना उचित नहीं है अपितु स्कॉलरशिप/मेडल आदि प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

मद सं०–5 कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 07.12.2010 के मद संख्या 01 (ख) पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में गठित समिति ने डॉ0 आर.आर. शर्मा, सेवानिवृत्त, उपाचार्य एवं डॉ0 कमला द्विवेदी, सेवानिवृत्त, उपाचार्या को प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु चयन समिति की संस्तुतियों के लिफाफे खोले जाने के उपरान्त प्राप्त चयन समिति व यू0जी0सी0 के पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के विधि परामर्शी से प्राप्त विधिक राय से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना ।

परिषद ने चयन समिति की संस्तुतियों एवं चयन समिति में उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षक की आख्या के आलोक में आयोग से प्राप्त पत्र क्रमशः दिनांक 30.04.2010 एवं 21.04.2010 के दृष्टिगत् डा0 आर0आर0 शर्मा सेवानिवृत्त उपाचार्य, शिक्षा विभाग एवं डॉ0 कमला द्विवेदी, सेवानिवृत्त, उपाचार्या, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग को प्रोफेसर के पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया ।

मद सं०–6 घाटे की स्थिति में संचालित संगीत एवं चित्रकला विभाग की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों से होने वाली आय से करके उक्त पाठ्यक्रम को सत्र 2011–12 में भी संचालित किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित संगीत एवं चित्रकला विभाग की शुल्क आदि से प्राप्त अल्प आय के दृष्टिगत विभाग के शैक्षणिक एवं अन्यय प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अन्य स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय से करते हुए उक्त पाठ्यक्रम को आगे भी संचालित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

मद सं०–7 शासन के पत्र संख्या–458/सत्तर–1–2011–15(32)/81 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांकः 25 अप्रैल, 2011 के प्रस्तर 2(2)(वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के पारिश्रमिक की निर्धारित अधिकतम सीमा ₹ 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद से अनुमोदित कराने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जायेगी) की व्यवस्था से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद शासन के पत्र संख्या–458/सत्तर–1–2011–15(32)/81 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांकः 25 अप्रैल, 2011 के प्रस्तर 2(2)(वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के पारिश्रमिक की निर्धारित अधिकतम सीमा ₹ 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद से अनुमोदित कराने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जायेगी) की व्यवस्था से कार्यपरिषद संसूचित हुई । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समय से मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत यदि मूल्यांकन हेतु निर्धारित शिक्षकों के पारिश्रमिक की सीमा में वृद्धि किया जाना अपरिहार्य हो गया हो तो अधिकतम सीमा ₹ 40,000/– में वृद्धि करने हेतु शासन को पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं.1–वर्ष 2010–11 की वार्षिक परीक्षाओं की कम्प्यूटराइज्ड रूप से कोड की जा रही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन में नियोजित किये गये विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बढ़े हुए कार्यभार के दृष्टिगत पारिश्रमिक क्रमशः ₹ 300/– एवं ₹ 200/– प्रतिदिन की दर से मूल्यांकन अवधि के लिए भुगतान किये जाने पर परिषद ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण वित्त समिति की सहमति हेतु सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–2 परिषद ने डा0 राशि अग्रवाल, प्रवक्ता, इन्फारमेशन टैक्नानॉजी विभाग, यू.आई.ई.टी. को आठवें अन्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने हेतु विभागीय मद से रजिस्ट्रेशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सम्यक विचारोपरान्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए वित्त समिति की सहमति हेतु सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–3 विश्वविद्यालय परिसर स्थित कम्प्यूटर केन्द्र के समग्र आधुनिकीकरण हेतु सिस्टम मैनेजर के प्रस्ताव जिसमें नेटवर्क के अपग्रेडेशन, डेडीकेटेड डाटा सेण्टर तथा डिजास्टर रिकवरी सेण्टर की स्थापना जिसमें अत्याधुनिक नेटवर्किंग, स्टोरेज सर्वर एवं आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के निमित्त कुल ₹ 6,33,55,086/– के व्यय का उल्लेख किया गया है, को परिषद ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए बजट में प्राविधान हेतु वित्त समिति को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि कम्प्यूटर केन्द्र के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समिति की भी सहमति प्राप्त कर ली जाय जो आवश्यकतानुसार संशोधन भी करने में सक्षम होगी । वित्त समिति द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानित बजट की सीमा के अन्तर्गत कार्य पूरा करते हुए शेष समस्त कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किये जाने का भी निर्णय लिया गया । कम्प्यूटर केन्द्र के आधुनिकीकरण के अवशेष कार्य हेतु बजट आगामी वित्त समिति से अनुमोदित होते ही पूरा कर लिया जाय ।

अन्त में प्रतिकुलपति ने माननीय कुलपति जी को उनके द्वारा विश्वविद्यालय में विगत तीन वर्षों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उन्नयन हेतु उठाये गये रचनात्मक एवं सुधारात्मक कदम की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए उनके कार्यकाल को विश्वविद्यालय द्वारा सदैव स्मरण किये जाने योग्य बताया । परिषद ने सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी के सकारात्मक प्रयासों हेतु उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया ।

(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति / अध्यक्ष

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव / सचिव